

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा।

अनुमति वाद संख्या 118/2016-17

आदेश



आवेदक श्री राजेश भगत पिता स्व0 बरतु उरांव साकिन कुटमू थाना लोहरदगा जिला-लोहरदगा के द्वारा सी0एन0टी0एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा कुटमू के निम्नलिखित जमीन को बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाय।

आवेदित भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता संख्या	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में
कुटमू	लोहरदगा	141	37 / 192	853 / 973	0.17

जमीन विकेता की विवरणी

नाम :— श्री राजेश भगत
 पिता/पति का नाम :— स्व0 बरतु उरांव
 पता :— कुटमू
 पहचान संख्या :— आधार न0 —936250347689

जमीन केता की विवरणी

नाम :— श्रीमती रजनी खेस
 पिता/पति का नाम :— श्री सुरेश टोप्पो
 पता :— न्यू एरिया कुटमू
 पहचान संख्या :— आधार न0 —250700783826

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुये संबंधित मौजा के नाम आम ईश्तिहार नोटिस जारी किया गया कि उक्त जमीन को श्रीमती रजनी खेस पति श्री सुरेश टोप्पो ग्राम— न्यू एरिया कुटमू के साथ बिकी करने के विरुद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल करें। साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुये अंचल अधिकारी, लोहरदगा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति आवेदन पत्र दर्ज नहीं हुआ।

अंचल अधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 488 दिनांक 27.03.2017 द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी, लोहरदगा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पास कुल 5.55 ए0 जमीन है एवं जमीन बिकी करने बाद आवेदित खाता में 5.38 ए0 जमीन बचता है। आवेदक मकान बनाने हेतु जमीन बिकी करना चाहते हैं। आवेदक का खतियानी जमीन है। आवेदक खतियानी रैयत नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। सरकारी रसीद सीरी उरांव पिता विरीया उरांव वो मंगरा उरांव पिता पचुवा उरांव वो बरतु उरांव पिता सुकरा उरांव के नाम से कटती है। विकेता एवं केता एक ही थाना—लोहरदगा के निवासी हैं। जमीन का श्रेणी दोन ॥। है।

इस कम में आवेदक का भी लान लिया गया। आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि मौजा कुटमू के अन्तर्गत खाता नं0 37/192 प्लॉट नं0 853/973 में से रकबा 0.17 ए0 जमीन श्रीमती रजनी खेस पति श्री सुरेश टोप्पो ग्राम— न्यू एरिया कुटमू थाना—लोहरदगा जिला—लोहरदगा के साथ जमीन बिकी कर रहे हैं। है। आवेदक मकान बनाने हेतु जमीन बिकी करना चाहते हैं। आवेदक का खतियानी जमीन है। आवेदक खतियानी रैयत नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। सरकारी रसीद सीरी उरांव पिता विरीया उरांव वो मंगरा उरांव पिता पचुवा उरांव वो बरतु उरांव पिता सुकरा उरांव के नाम से कटती है। जमीन आवेदक के दखल कब्जा में है। जमीन पर कोई विवाद नहीं है। जमीन बिक्री करने पर किसी का दबाव नहीं है एवं किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये व्यान तथा अंचल अधिकारी, लोहरदगा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा कुटमू के अन्तर्गत खाता नं0 37/192 प्लॉट नं0 853/973 में से रकबा 0.17 ए0 जमीन श्रीमती रजनी खेस पति श्री सुरेश टोप्पो ग्राम— न्यू एरिया कुटमू थाना—लोहरदगा जिला—लोहरदगा के साथ सी0एन0टी0एकट की धारा 46 के अन्तर्गत उनके निजी दायित्व पर बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, लोहरदगा एवं आवेदक को दी जाय।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

४५०५/८
भूमि सुधार उप समाहिता,
लोहरदगा।

४५०५/८
भूमि सुधार उप समाहिता,
लोहरदगा।

ज्ञापांक ३४६ / दिनांक २०.५.१७

प्रतिलिपि: जिला अवर निबंधक, लोहरदगा / श्री राजेश भगत पिता स्व0 बरतु उरांव साकिन कुटमू थाना लोहरदगा जिला—लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

४५०५/८
भूमि सुधार उप समाहिता,
लोहरदगा।

